



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 01-उ0प्र0(2ब) / पा0कालि0 / 2017-06-विविध(2ब) / 2017

दिनांक: 07 अप्रैल, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यांत्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्त किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त हेतु स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/अभियन्ता/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति तिथि सर्वश्री/सुश्री	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्ति के पश्चात आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुलाब सिंह (आपियोवो) 82039 / फरुखाबाद / 31.12.2018	सहायक अभियन्ता (मी0), विद्युत परीक्षण खण्ड, अमरोहा।	पश्चिमान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि�0, मेरठ।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

4— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्त अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्धारित आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5— उपरोक्त प्रोन्त अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

6— उपरोक्त प्रोन्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

7— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:.....2.....



# उत्तर प्रदेश पावर वर्क्सर्स लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

- 2 -

संख्या: 01(1)उपरोक्त(ब) / पारिकारिका/ 2017 तदनिर्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मार्गी / ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उपरोक्त शासन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) के निजी सचिव, उपरोक्त पारिकारिका/ उपरोक्त प्रांतीकारिका/ लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा / मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड / केस्को, कानपुर।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उपरोक्त पारिकारिका/ उपरोक्त प्रांतीकारिका/ समिश्रण कारिका।
- 5— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उपरोक्त पारिकारिका, लखनऊ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उपरोक्त पारिकारिका/ उपरोक्त प्रांतीकारिका, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), उपरोक्त पारिकारिका, लखनऊ।
- 8— अधिशासी अभियन्ता (वैब), उपरोक्त पारिकारिका, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— उप सचिव (प्रशिक्षण) / (गोपन), उपरोक्त पारिकारिका, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10— सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

२०१४